## Order sheet [Contd]

case No -b.a-160/17

Signature of Parties or

Pleaders where necessavry

## <u>28-04-</u> 2017

02:35pm to 02:50 pm आवेदक / अभियुक्तगण गंधर्व सिंह बघेल एवं छोटू बघेल द्वारा

श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

थाना मालनपुर से अपराध क्रमांक 48/2017 अंतर्गत धारा—353, 336, 294, 427 एवं 34 भा0द0सं0 की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

आवेदकगण की ओर से संबंधित न्यायिक मिजस्ट्रेंट के आदेश दिनांक 26 एवं 27.04.2017 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार आवेदकगण का आवेदन अंतर्गत धारा—437 दं.प्र. सं. का दिनांक 27.04.2017 को निरस्त कर दिया गया।

दोनों आवेदकगण / अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0स0 के साथ आवेदकगण के चाचा कप्तान सिंह का शपथपत्र पेश किया गया है, आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया गया है, कि आवेदकगण का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं.प्र. सं. माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत आदेश दिनांक 19.04. 2017 के पालन में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदकगण गंधर्व सिंह एवं छोटू बघेल की ओर से व्यक्त किया है, कि उनके विरूद्ध गलत सूचना के आधार पर फर्जी प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। घटना से उनका कोई संबंध नहीं है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। पुलिस थाना मालनपुर के पास कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदकगण के कहीं भागने की संभावना नहीं है। आवेदक ने उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से मौखिक रूप से विरोध किया गया और आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने पर स्पष्ट है, कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 30/03/17 को पुलिस बल थाना मालनपुर सहअभियुक्त अंगूरी बाई के पित कल्ली को गिरफ्तार करने उसके घर ग्राम लहचूरा पहुंची थी, जब पुलिस कल्ली को गाड़ी में बिठाने लगी, तो अंगूरी, गंधर्व, छोटू ने पुलिस बल पर हमला करने और कल्ली को छुड़ाने का प्रयास किया। चारों अभियुक्तगण ने पुलिस बल को अश्लील गालियां दीं, तथा उनमें से किसी ने पुलिस के वाहन में पत्थर मारा, जिससे वाहन का शीशा टूट गया, इस प्रकार कल्ली, गंधर्व, छोटू, अंगूरी बाई एवं अन्य दो लोगों ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, जिसकी रिपोर्ट

उपनिरीक्षक भारत सिंह गुर्जर द्वारा थाना मालनपुर में की गई।

केस डायरी में माननीय उच्च न्यायालय की एम.सी.आर.सी. कमांक 4079 / 17 एवं 4080 / 17 आदेश दिनांक 19.04.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न है, जिसके अनुसार आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया गया है। आवेदकगण दो दिवस से निरोध में है। पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की मंशा को देखते हुए आवेदकगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः आवेदकगण का जमानत आवेदन स्वीकार किया गया।

🔈 🧪 अतः आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक / अभियुक्तगण गंधर्व सिंह बघेल एवं छोटू बघेल प्रत्येक की ओर से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड की संतुष्टि योग्य 25,000 / –रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्न शर्तो पर जमानत पर रिहा किया जावे:--

- आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
- अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा।
- फरार नहीं होगा। 3.
- विचारण में सहयोग करेगा। 4.
- विचारण के दौरान अभियुक्त समान अपराध कारित करेगा।

## यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर पालनार्थ भेजी जावे।

केसडायरी वापस हो।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें। STINE STINE

(मोहम्मद अज़हर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

Order or proceeding	g with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
Q!	Rel High	necessayry
The state of the s	200	
AN SUNT		

WIND STATE OF THE PARTY OF THE

WILHIPA PROPERTY PROP